

बकाली घरकत वहील उग्रमपदी उपस्थित
जबली हुन आदेशानुसार वास्ते जवाब बहस
जुमला फर दिनांक 20/2/15 को पेश ही।

20/3

बकाली घरकत हुन पीठासीन अधिकारी
राजस्व कार्य में व्यत्यय होने से
/ का: पनावली
दिनांक 20/3/15 को पेश हो।

बाबा के

20/3/15

बकुलाय पक्षकारान उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी जमखुनवार होने से
प्रकरण दि. 17/4/15 को पेश हो।

बकुलाय पक्षकारान उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी जमखुनवार होने से
प्रकरण दि. 22/5/15 को पेश हो।

22/5/15

प्रार्थी व उत्तरके प्रकील उपस्थित/विपक्षी उपस्थित/
अनुपस्थित/प्रकरण को लोक अदालत में रेफर करने
हेतु दोनों पक्ष सहमत हैं। अतः प्रकरण लोक अदालत
में रेफर किया जाता है। प्रकरण दिनांक 22/5/15
को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहें।

22/5

पुनः वली आज राजस्व लोड भगवान् एवं
हुन को आशियान सुहाम अतल सेवा हुन
बेड दिया मैं येच हुन कक्ष काराम हुन
प्रकार में राशीनामा येच कर निवेदन किया
कि हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण मूल प्रकरण
की वारिसान की वीर के तीन पुत्र
माना, माना एवं रता हुन जो तीनों हान
हो चुके हैं वही संख्या 1 व 2 एवं माना
के वारिसान की वही संख्या 4 व 5 एवं रता
के वारिसान की वही वही संख्या 1 से 4 एवं
माना के वारिसान की वही वही जमीन मॉके
संवाते छोडी वही सं. 1 व 2 व 4/3 हिस्सा वही
माना 3 व 4 व 4/3 हिस्सा व प्रतिवादी हुन
1 से 4 व 4/3 हिस्सा व परम्लु राजस्व रता
में मवा, रता, मोपा वित्त माना 1/2 रता वित्त
वही 1/2 व वित्त व वित्त व वित्त

र
पुनः

यतराम

कुशा

रामा

रवा

रवा

रवा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
----------------	------------------------------------	----------------------------

दिया जाऊँ माला, लाला व लाला के पारिवारिक
 डा 4/3-4/3 लिखा संश्लिष किया जावे।
 अल. राजीनामा अनुसूचा वाहीगल का वह
 खीडां दिया जाता है एवं मोजा मुखियापदी
 घतवार हल्का गोट्टा तहसील ^{कोटडा} मीमुला की
 जमाबंदी संवल 2063 से 2066 के खाला
 संख्या 46 में वर्तित इतरासियाल ठिला
 35 कुल रकवा 21-01 बीघा क्षमि में सवा,
 सभा, मोपा धिला माला 4/2, रामा धिला वीरा
 4/2 के कजाय जगा, चतरा धिला लाला
 जारासिया 4/3, कपा, कुशा धिला रताजमाधिया
 4/3, रामा, सवा, सगा, मोपा धिला माला
 जारासिया 4/3 किये जाने डा आदेश दिया
 जाता है एतदनुसूचा डिडी वमा जारी किया
 जाया रजस्व रेकड में डामल डरामह दिया
 जावे। एतदवली निमित्त खेडा संवा संकड का
 निषिप हुनायापट्या।

उप खण्ड अधिकारी एवं
 उप खण्ड मजिस्ट्रेट
 कोटडा (उदयपुर)

